राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5367/2021

श्री कोल कंपनी, जिसका पंजीकृत पता प्लॉट संख्या -126, शिव विहार कॉलोनी, रोड नंबर 5 के सामने, वीकेआई एरिया, जयपुर है, अपने पार्टनर श्री सुनील लुहारुका के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जयपुर-2, जयपुर, जिसका कार्यालय न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टैच्यू सर्किल, भगवान दास रोड, सी-स्कीम, जयपुर में है।

2. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, नई दिल्ली, जिसका कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, नई दिल्ली-110001 में है, अपने अध्यक्ष के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री सिद्धार्थ रांका

प्रतिवादीगण के लिए : श्री संदीप पाठक

सुश्री जया पी. पाठक

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

<u>आदेश</u>

(29/05/2025 को 04:37:12 अपराह्न पर डाउनलोड किया गया)

01/07/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका दिनांक 31.03.2021 के उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष कर 'विवाद से विश्वास योजना, 2020' (संक्षेप में 'योजना') के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने मूल्यांकन वर्ष 2011-12 के लिए रिटर्न दाखिल किया था। आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 147/148 के तहत शुरू की गई कार्यवाही दिनांक 23.11.2018 के एक पक्षीय आदेश में समाप्त हुई। पुनर्मूल्यांकन आदेश की तामील की तारीख के संबंध में विवाद है।

3. याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए मामले के अनुसार, एक पक्षीय आदेश की जानकारी मिलने पर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई और आयकर आयुक्त (अपील) (संक्षेप में 'सीआईटी (ए)') के समक्ष 07.01.2021 को देरी को माफ करने के आवेदन के साथ अपील दायर की गई। अपील और आवेदन आज तक लंबित हैं। आपत्तिजनक आदेश इस आधार पर पारित किया गया था कि योजना की कट-ऑफ तारीख यानी 31.01.2020 को, याचिकाकर्ता की कोई अपील लंबित नहीं थी और मामला योजना के तहत कवर नहीं था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान काउंसिल ने प्रस्तुत किया कि मूल्यांकन आदेश की तामील के संबंध में मुद्दा सीआईटी (ए) के समक्ष अपील का विषय है। आपत्तिजनक आदेश आवेदन/अपील के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना और इस तथ्य में जाए बिना पारित किया गया था कि आदेश की तामील कब की गई थी और क्या अपील दाखिल करने की समय सीमा

(29/05/2025 को 04:37:12 अपराह्न पर डाउनलोड किया गया)

31.01.2020 तक समाप्त हो गई थी। यह प्रस्तुत करने के लिए कि जिन मामलों में अपील दाखिल करने की समय सीमा 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुई थी, ऐसे मामले योजना के तहत कवर किए गए थे, दिनांक 22.04.2020 और 04.12.2020 के परिपत्रों पर भरोसा किया गया है।

5. प्रतिवादी के विद्वान काउंसिल ने आपत्तिजनक आदेश का बचाव किया। उनका सबमिशन है कि कट-ऑफ तारीख पर कोई अपील लंबित नहीं थी। यह तर्क दिया गया है कि रिट याचिका में न्यायालय योजना की कट-ऑफ तारीख को संशोधित नहीं करेगा। यह तर्क दिया गया है कि पुनर्मूल्यांकन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने से अपील दाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ेगी।

6. इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि न्यायालय योजना की कट-ऑफ तारीख को संशोधित नहीं कर सकता है। विचाराधीन मामले में शामिल मुद्दे को एक अलग परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए, यानी जिस तारीख से अपील दाखिल करने की समय सीमा शुरू होगी।

7. आपत्तिजनक आदेश के अवलोकन से, यह सामने आया है कि आवेदन को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार यह है कि 31.03.2021 को कोई अपील लंबित नहीं थी। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि पुनर्मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील के साथ-साथ 07.01.2021 को दायर देरी को माफ करने का आवेदन अभी भी लंबित है।

8. योजना के तहत दायर आवेदन से निपटते समय, आयुक्त ने पुनर्मूल्यांकन आदेश की तामील की तारीख के पहलू पर विचार नहीं किया था, जिसका याचिकाकर्ता के मामले पर योजना के दायरे में आने पर प्रभाव पड़ता है। पुनर्मूल्यांकन आदेश की तामील की तारीख से निपटना यह

(29/05/2025 को 04:37:12 अपराह्न पर डाउनलोड किया गया)

निर्धारित करने के लिए आवश्यक होगा कि क्या कट-ऑफ तारीख पर विवाद लंबित था और मामला योजना के तहत कवर किया गया है।

9. याचिकाकर्ता योजना के तहत पात्र था या नहीं, इस पर टिप्पणी किए बिना, याचिका को एक बोलने वाला आदेश पारित करके, योजना के तहत दायर आवेदन को नए सिरे से तय करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को वापस भेजकर निपटाया जाता है।

10. विभाग, यदि सलाह दी जाती है, तो पुनर्मूल्यांकन आदेश के खिलाफ सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए कदम उठा सकता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित देरी को माफ करने के आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए मुख्य आयकर आयुक्त से अनुरोध करने के लिए भी स्वतंत्र होगा।

11. रिट का तदनुसार निपटान किया जाता है।

(आशुतोष कुमार), जे (अवनीश झिंगन), जे

सिंपल कुमावत/रिया/51

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हां

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

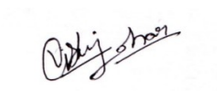

एडवोकेट विष्णु जांगिड़

(29/05/2025 को 04:37:12 अपराह्न पर डाउनलोड किया गया)